संख्या-265/2022/आई/158943/41-1099/19/2021-22(सा0)/2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 25 अप्रैल, 2022

विषयः- उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को पर्यटन विभाग के अधीन पर्यटन विकास कार्यों को कराये जाने हेतु अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7173/पर्यटन निगम/कार्यदायी संस्था/21, दिनांक 10.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को पर्यटन विभाग के अधीन पर्यटन विकास कार्यों को कराये जाने हेतु अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि "विविध पर्यटन आकर्षणों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। भारत में घरेलू पर्यटकों एवं विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्रमशः प्रथम एवं तृतीय स्थान है। अपने गौरवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों तथा समृद्ध वन सम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम सम्भावनायें है।

3- पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों एवं पर्यटन परिपथों के समन्वित एवं सुनियोजित पर्यटन विकास हेतु अनेक कार्य कराये जा रहे हैं। इस हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश सरकार से बजट व्यवस्था के माध्यम से प्रतिवर्ष धनराशि प्राप्त होती है और इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा भी स्वदेश दर्शन स्कीम एवं प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत धनराशि प्रदत्त की जाती है।

4- प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न पर्यटन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश सरकार के द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं यथा- उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, सी. एण्ड डी.एस. (जल निगम) आदि के माध्यम से कराया जाता है। इन कार्यदायी संस्थाओं के पास पूर्व से ही कई विभागों के कार्य होते हैं, जिसके कारण इनके पास विविध कार्यों की अधिकता रहती है। यह देखा गया है कि पर्यटन विकास सम्बन्धी छोटे-छोटे कार्यों में उनकी अधिक रूचि नहीं होती है, फलस्वरूप पर्यटन विभाग के कार्य प्रायः सुचारू एवं समयबद्ध रूप से सम्पादित नहीं हो पाते। पर्यटन विकास हेतु कार्यों का चयन देशी एवं विदेशी पर्यटकों की मूलभूत सुविधाओं के दृष्टिगत किया जाता है, जो कि प्रायः विशिष्ट प्रकृति के होते हैं और इन कार्यों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रियान्वयन में पर्यटन के अनुरूप मानकों का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। ऐसे कार्यों में अच्छी डिजाईन एवं इनोवेशन आदि की अहम भूमिका होती है, जिसे पर्यटन विभाग के अधीन पर्यटन निगम के द्वारा बेहतर ढंग से मूर्तरूप प्रदान किया जा सकता है और समय-समय पर मा0 पर्यटन मंत्री व विभाग के अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा सघन अनुश्रवण/पर्यवेक्षण आदि भी सुगमता से किया जा सकता है।

5- प्रदेश की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि पर्यटन के माध्यम से प्रतिष्ठित करने में पर्यटन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह आवश्यक है कि पर्यटन विकास से सम्बन्धित कार्यों को पर्यटन विभाग के ही विशिष्ट एजेन्सी (उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0) के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाये, जिससे उसका अपेक्षित प्रभाव भी हो और देशी-विदेशी पर्यटक बेहतर अनुभव लेकर जायें।

6- भारत के विभिन्न प्रदेशों में राज्य सरकारों के द्वारा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अपने-अपने पर्यटन विभाग के अधीन पर्यटन विकास सम्बन्धी गतिविधियों एवं क्रिया-कलापों के सुचारू परिकल्पना, संरचना, क्रियान्वयन एवं संचालन/रख-रखाव आदि के लिये अपने-अपने पर्यटन विकास निगमों के अन्तर्गत निर्माण एवं अभियांत्रिकी विंग सृजित किया गया है। पर्यटन विकास से सम्बन्धित कार्य इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से कराये जाते हैं, जिनमें भारत पर्यटन विकास निगम, गढ़वाल मण्डल विकास निगम/कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं हरियाणा पर्यटन विकास निगम आदि प्रमुख हैं। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के तत्वाधान में शासनादेश संख्या-1715/41-90-335/89 दिनाँक 04-05-1990 के माध्यम से तकनीकी सेल का गठन करते हुये अधिशासी अभियन्ता का 01 पद, सहायक अभियन्ता का 03 पद, अवर अभियन्ता का 08 पद एवं ड्राफ्टमैन का 01 पद स्वीकृत किया गया है।

7- वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अन्य कार्यदायी संस्थाओं (निगमों), यथा- उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 एवं सी. एण्ड डी.एस. (उ0 प्र0 जल निगम) आदि को 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज अनुमन्य किया गया है। किन्तु पर्यटन निगम द्वारा पर्यटन विकास कार्यों के लिए मात्र 10% के ही दर से सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा, जिससे शासकीय धन की बचत होगी।

8- पर्यटन निगम का टर्न ओवर वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 28.64 करोड़ है। विगत लगभग दो वर्षों से कोविड महामारी के कारण पर्यटन व्यवसाय में आये भारी गिरावट के कारण पर्यटन निगम का भी टर्न ओवर काफी प्रभावित हुआ है, जिसमें आने वाले दिनों में तेजी से सुधार सम्भावित है।

9- पर्यटन निगम को पर्यटन विकास कार्यों को कराये जाने का पूर्व अनुभव है, जिसमें पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बृज क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन पूर्व में पर्यटन निगम के द्वारा ही कराया गया है और इसके अतिरिक्त पर्यटन निगम के विभिन्न आवासीय इकाईयों एवं होटलों का भी मरम्मत, नवीनीकरण एवं विस्तारीकरण आदि का कार्य पर्यटन निगम द्वारा सफलतापूर्वक कराया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्यों में प्रायः बड़े मशीनों/उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, किन्तु आवश्यकतानुसार मशीनों एवं उपकरणों की व्यवस्था अन्य एजेन्सियों के माध्यम से की जायेगी। पर्यटन निगम के अधीन वर्तमान में कोई टेस्टिंग लैब/प्रयोगशाला नहीं है। किन्तु आवश्यकतानुसार इस कार्य को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 एवं सिंचाई विभाग आदि की प्रयोगशाला से कराया जायेगा और कालान्तर में यथासमय पर्यटन निगम के द्वारा अपनी भी प्रयोगशाला स्थापित कर ली जायेगी।

11- प्रदेश में पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को अधिकृत किये जाने से न केवल पर्यटन विकास कार्यों की गतिशीलता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होगी, बल्कि सेन्टेज के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि से पर्यटन निगम की वित्तीय स्थिति एवं पर्यटन गतिविधियों को अधिक गतिशील एवं उपयोगी बनाया जा सकेगा।

12- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को पर्यटन विभाग के अधीन पर्यटन विकास कार्यों को कराये जाने हेतु अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 19.04.2022 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) पर्यटन विभाग के अधीन अधिकतम रू0 10 करोड़ की सीमा तक पर्यटन विकास कार्यों को कराये जाने हेतु उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को अधिकृत किया जाता है।

(ख) उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को 12.5 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 10 प्रतिशत की दर से सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा।

(ग) इस विषय में अग्रतर कार्यवाही/संशोधन हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

13- उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को अधिकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जायेगा :-

(क) पर्यटन निगम को कार्यदायी संस्था के रूप मे पर्यटन विभाग के कार्यो को करने के लिए ही सीमित माना जाय तथा यदि पर्यटन विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग के लिए पर्यटन निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया जाना हो तो तद्विषयक अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाएगी ।

(ख) मानकीकृत एवं गैर मानकीकृत भवनों के निर्माण तथा तत्सम्बन्धी कार्यदायी संस्थाओं की मान्यता विषयक शासनादेश संख्या-5/2015/ई-8-1092/ दस-2015-1074/2012, दिनांक 08.09.2015 प्रभावी रहेगा। रू0 50.00 करोड़ से अधिक के कार्यो हेतु शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2-615/दस-2019, दिनांक 13.12.2019 प्रभावी होगा।

(ग) वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अन्य कार्यदायी संस्थाओं (निगमों) यथा- राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन एवं सी0एण्ड0डी0एस0 जल निगम आदि को 12.50 प्रतिशत की दर से सेन्टेज अनुमन्य किया गया है। पर्यटन निगम द्वारा पयर्टन विकास कार्यो के लिए मात्र 10 प्रतिशत के ही दर से सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के अनुसार राजकीय निर्माण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यो हेतु कार्यदायी संस्थाओं हेतु निर्माण कार्य पर सेन्टेज कुल लागत पर 05 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.50 प्रतिशत अनुमन्य होती है। अतः सेन्टेज चार्ज निर्धारण हेतु वित्त विभाग ही सक्षम है।

14- अत: कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0।
4. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
   वित्त विभाग, न्याय विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग एवं लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0 प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
8. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।